soners as an alibi for the imposition and continuance of emergency and cruel and barbarous methods were adopted during interrogation;

(b) whether Government have collected information about the victims who suffered as a consequence thereof; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) While the Government are aware of reports of torture by the police during the 'Emergency', there is no information regarding securing of confessions of non-existent conspiracies from political prisoners.

(b). No, Sir.

(c). Does not arise.

Residential accommodation for the employees working in Akashvani station at Bhagalpur

3326. DR. RAMJI SINGH: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state·

(a) whether the employees working in Akashvani Station at Bhagalpur have been provided with residential accommodation facilities;

(b) whether there is any scheme for the construction of a separate colony for them; and

(c) if so, the time by which work in this regard would be taken up and completed?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) No residential accommodation has been provided for the Akashvani staff at Bhagalpur, excepting two quarters for the security guards (Chowkidars).

(b). No Sir. There is no approved scheme.

(c). Does not arise.

किसानों द्वारा बिजली के बिलों का भुगतान

3327. **डा० महादीपक सिंह शाक्य :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से बिजली सप्लाई नहीं की जाती है ;

(ख) क्या उन्हें समस्त अवधि के लिए बिजली के बिलों का समान दर पर भुगतान करना पड़ता है ; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि किसानों को केवल बिजली की वास्तविक खपत के ही बिलों का भुगतान करना पड़े ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ग). पाबन्दियों के समय को छोड़कर कृषकों की बिजली की आवश्यकताएं पर्याप्त रूप में पूरी की जाती हैं। यहां तक कि कृषकों को आवश्यक उपभोक्ताओं की श्रेणी में रखा गया है और उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश और पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों में बिजली के बिल उपयोग की गई ऊर्जा से संबद्ध रहते हैं। उत्तर प्रदेश में टैरिफ लगाने की एक नियत प्रभार प्रणाली है। पंजाब में नियत प्रभार प्रणाली 1968 में शुरू की गई थी परन्तु नए कृषकों के लिए 1975 से मीटर टैरिफ पुन: शुरू की गई और उपभोक्ताओं को विकल्प दिया है कि वे या तो नियत प्रभार चुन लें या मीटर पर आधारित प्रभार चुन लें। जम्मू और कश्मीर में कृषकों को मीटर पर आधारित टैरिफ चुनने का विकल्प दिया गया है।